न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
135/2021

दायर दिनांक
02.08.2021

तारीख फैसला
21.04.2025

1. प्रभूदयाल पुत्र चन्दालाल
2. कैलाशचन्द पुत्र चन्दालाल
3. दुर्गादेवी पत्नी चन्दालाल
4. बाबूलाल पुत्र चन्दालाल
5. संतोष पुत्री चन्दालाल
6. राजकुमार पुत्र चन्दालाल
7. आनन्दीलाल पुत्र भौरीलाल
8. पप्पूलाल पुत्र भौरीलाल
9. बाबूलाल पुत्र भौरीलाल
10. रतनलाल पुत्र भौरीलाल
11. रूपनारायण पुत्र भौरीलाल

जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा : – वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम
बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 2.61है0 साविक खसरा नम्बर 197 अनुसार ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जिसके राजस्व नक्शें में हाल सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के पूर्व नक्शें अनुसार कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी के विरूद्व त्रुटिपूर्ण नवीन तरमीम होने से आगें वादग्रस्त भूमि है। दौराने सैटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248 रकबा 2.61है0 का कायम नवीन राजस्व नक्शें की त्रुटिपूर्ण तरमीम करते हुए प्रार्थी की खातेदारी के पूर्व खसरा नम्बर 197 के नक्शें के व कब्जे काश्त के विपरित त्रुटिपूर्ण व भिन्न तरमीम कर दिया गया, जो कि लिपिकीय त्रुटि का परिणाम है। जिससे खातेदार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे काश्त की भूमि को वर्तमान खसरा नम्बर 249 के राजस्व नक्शें में उत्तर व पूर्व दिशा की ओर शामिल कर प्रार्थीगण की खातेदारी अनुसार भूमि को खसरा नम्बर 248 के नक्शें मे कम कर त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 249 के राजस्व नक्श में उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर शामिल होकर त्रुटिपूर्ण तरमीम है। वादग्रस्त भूमि के साविक राजस्व नक्शें अनुसार व प्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व अनुसार ही प्रार्थीगण के विवादित हाल खसरा नम्बर 248 का राजस्व नक्शा तरमीम करना चाहिए था, जबकि हाल खसरा नम्बर 248 का राजस्व नक्शा साविक नक्शें से कतई भिन्न व विपरित होकर त्रुटिपूर्ण है। उक्त वर्णितानुसार

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

प्रार्थीगण के हाल खातेदारी खसरा नम्बर 248 की भूमि राजस्व नक्शा व प्रार्थीगण के साबिक खसरा नम्बर 197 के नक्शें एवं खातेदारी अनुसार साबिक कब्जे काश्त व मालिकाना स्वामित्व के कतई ही विपरित होकर त्रुटिपूर्ण तरमीम है, तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 249 का राजस्व नक्शा में प्रार्थीगण की भूमि को गलत व त्रुटिपूर्ण शामिल किया गया है। प्रार्थीगण का अपने खातेदारी के साबिक राजस्व नक्शे सहित रकबा बरारी अनुसार कब्जा चला आ रहा है, जिसका प्रार्थीगण को विधिक अधिकार है। सैटलमेंट विभाग को उक्त प्रकार से त्रुटिपूर्ण तरमीम करने व प्रार्थीगण की भूमि को कम करने का अधिकार नही रहा है। जो कि अपने खातेदारी के साबिक राजस्व नक्शें अनुसार प्रार्थीगण वर्तमान नवीन राजस्व नक्शें को रकबा बरारी अनुसार तरमीम कराने की अधिकारी है। अतः मुताबिक नजरी नक्शा ग्राम चावण्ड का मण्ड में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 197 के राजस्व नक्शें मुताबिक ही वर्तमान खसरा नम्बर 248 रकबा 2.61है0 के राजस्व नक्शें को पुनः तरमीम करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार खसरा नम्बर 249 के राजस्व नक्शे में उत्तर पूर्व सीमा की तरमीम दुरूस्त कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्तीकरण के आदेश दिया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24 /3614 दिनांक 3.7.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम चावण्ड का मण्ड का हाल खसरा नम्बर 248 साबिक खसरा नम्बर 197 प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि दर्ज है। हाल नक्शें व एकीकरण नक्शें मे जॉच उपरान्त खसरा नम्बर 248, 249, 250 तीनो की सीमाओं मे एकीकरण व हाल नक्शें में अन्तर है। वादीगण ने खसरा नम्बर 250 के संबंध में उल्लेख नही किया है। मौके पर खसरा नम्बर 248 एवं साबिक खसरा नम्बर 197 मुख्य सडक पर स्थित है। मौके पर दुकान आदि निर्मित है। परन्तु हाल नक्शे में खसरा नम्बर 248 मुख्य सडक के लगवा नही है। प्रकरण में हाल नक्शा नजरी में लाल स्याही से दर्शित क्षेत्रानुसार खसरा नम्बर 248 को दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थीगणं व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 248 रकबा 2.61है0 साबिक खसरा नम्बर 197 को पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर